

भारतीय कामगारों का पहला जत्था इज़रायल के लिये रवाना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **इज़रायल में रोज़गार** के लिये जाने वाले भारतीय नरिमाण श्रमिकों के पहले बैच को इज़रायली राजदूत नाओर गलियोन और सरकारी अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्य बटु:

- **इज़रायली सरकार** ने नवंबर 2023 में नरिमाण श्रमिकों के लिये एक तत्काल अनुरोध किया था और **इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू** ने **दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी** के साथ इस प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाने पर चर्चा की थी।
 - ऐसा इसलिए था क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को **हमास द्वारा किये गए आतंकवादी हमलों** के बाद **हज़ारों फ़िलिस्तीनियों को इज़रायल में कार्य करने से प्रतिबंधित करने** के बाद देश को बड़ी श्रम कमी का सामना करना पड़ा था।
- **राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद** के अनुसार, पहले समूह की भरती पछिले कुछ महीनों में **हरियाणा और उत्तर प्रदेश** में एक बड़े अभियान के दौरान की गई थी।
 - वे अपेक्षित 10,000-मज़बूत कार्यबल का हिस्सा हैं, जिन्हें अगले कुछ हफ़्तों में इज़रायल भेजा जाएगा, जिनमें से लगभग हर दिन एयर इंडिया और यहाँ तक कि चार्टर्ड फ़्लाइट्स से यात्रा की जाएगी।
- **वदेश मंत्रालय** के अनुसार, श्रमिक वर्ष 2023 में हस्ताक्षरित **भारत-इज़रायल गतिशीलता साझेदारी** के हिस्से के रूप में सरकार-से-सरकार व्यवस्था के तहत इज़रायल की यात्रा कर रहे थे।
- चूंकि इज़रायल **"उत्प्रवासन मंजूरी आवश्यक" (ECR)** देशों की सूची में नहीं है, इसलिए **MEA के ई-माइग्रेट पोर्टल पर श्रमिकों के लिये पंजीकरण अनिवार्य नहीं है।**
- इज़रायल के साथ **हस्ताक्षरित फ़रेमवर्क समझौते और कार्यान्वयन प्रोटोकॉल** के अनुसार, भारतीय श्रमिकों को इज़रायली नागरिकों के समान श्रम अधिकारों के संबंध में समान व्यवहार का आनंद मिलेगा एवं उन्हें उचित आवास, चिकित्सा बीमा व प्रासंगिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज के साथ-साथ कानून में नरिधारित मज़दूरी तथा लाभ प्रदान किये जाएंगे।

राष्ट्रीय कौशल विकास नगिम (NSDC)

- यह एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसकी स्थापना **31 जुलाई 2008** को **कंपनी अधिनियम, 1956** की धारा 25 के तहत की गई थी।
- वित्त मंत्रालय ने NSDC को **सार्वजनिक नज्जी भागीदारी (PPP)** मॉडल के रूप में स्थापित किया।
- **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE)** के माध्यम से भारत सरकार के पास NSDC की 49% हिस्सेदारी है, जबकि **नज्जी क्षेत्र के पास शेष 51% हिस्सेदारी है।**
- संगठन व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये **सकेलेबल और सफल पहल विकसित करने हेतु** धनराशि प्रदान करता है।

ई-माइग्रेट

- यह वर्ष **2015** में लॉन्च होने के बाद से पूरी तरह से चालू है और **भरती एजेंटों (RA)**, **वदेशी नियोक्ताओं (FE)** के पंजीकरण तथा संभावित प्रवासियों को उत्प्रवास मंजूरी (EC) जारी करने की सुविधा प्रदान करता है।
- यह **18 उत्प्रवास जाँच आवश्यक (ECR)** देशों में भारतीय श्रमिकों के सुरक्षित और कानूनी प्रवास की सुविधा के लिये विकसित एक व्यापक ऑनलाइन प्रणाली है।
 - ये 18 देश हैं **अफ़गानिस्तान, बहरीन, इराक, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, लीबिया, लेबनान, मलेशिया, ओमान, कतर, दक्षिण सूडान, सीरिया, सूडान, थाईलैंड, यूएई और यमन।**

